गृह विभाग (विशेष शाखा)

संयुक्तादेश

ज्ञापांक – जी/आपदा –06–02/2020 ...45/विशेष को0 पटना, दिनांक 03 मई, 2021

सर्वविदित है कि वर्त्तमान में राज्य में कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर का व्यापक प्रभाव है। उक्त संबंध में जनमानस में व्याप्त भय को देखते हुए राज्य के सरकारी एवं निजी चिकित्सा तंत्र पर अत्यधिक दबाव पड़ना अवश्यम्भावी है। ऐसी स्थिति में मरीजों के परिजनों द्वारा चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रबंधन पर अनुचित दबाव डालने तथा उनके साथ दुर्व्यहार एवं मारपीट की घटनाएँ सामने आ सकती हैं। इससे विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना है।

2. उपर्युक्त वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा कोविड 19 महामारी की चिकित्सा में लगे राज्य के चिकित्सकों एवं अस्पतालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्न आदेश दिए जाते हैं :-

i. सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक अपने अपने जिले में कोविड–19 के इलाज हेतु चिन्हित अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर एवं अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठान/Quarantine Center, जहाँ कोविड–19 के मरीजों का इलाज किया जा रहा है या संक्रमण की आशंका वालें व्यक्तियों को Institutional Quarantine में रखा गया है, के आसपास विधि व्यवस्था के समुचित संधारण हेतु आवश्यकता के अनुरूप पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

ii. उन क्षेत्रों में, जहाँ ऐसे अस्पताल/कोविड केयर सेंटर अवस्थित हैं, पेट्रोलिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए तथा गश्त की संख्या में वृद्धि की जाए।

iii. सभी जिला पुलिस अधीक्षक स्थिति के आकलन के आधार पर उपर्युक्त दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थैतिक (Static) पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर सकेंगे।

iv. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कोविड–19 के इलाज में संलग्न सभी चिकित्सकों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थाओं को विधि व्यवस्था एवं कोविड राहत कार्यो से सम्बद्ध महत्वपूर्ण पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करायें जाएँ, ताकि मरीजों के परिजन या अन्य व्यक्तियों द्वारा इलाज में बाधा पहुँचाए जाने, हिंसक व्यवहार किए जाने या अन्य आपात स्थिति में पुलिस बल या अन्य आवश्यक मदद के लिए तत्काल सम्पर्क किया जा सके।

v. यदि कोई व्यक्ति/समूह उपर्युक्त चिकित्सा संस्थानों में किसी चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी या अस्पताल प्रबंधन को इलाज या उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोई हानि, क्षति, अवरोध या बाधा पहुँचाता है और/या चिकित्सा संस्थानों की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो उसके/उनके विरूद्ध ''बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम, 2011'' (समय समय पर यथासंशोधित) तथा भा0द0वि0 की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।

vi. सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक जिले के प्रमुख चिकित्सकों एवं प्रतिष्ठित अस्पतालों के प्रबंधन के साथ कोविड–19 के इलाज में आ रही समस्याओं को समझने तथा उन समस्याओं के समाधान हेतु समय समय पर बैठक करेंगे, ताकि कोविड–19 महामारी के विरूद्ध उनके अनुभव, परामर्श एवं सहयोग का समुचित उपयोग किया जा सके।

vii. जिला प्रशासन जिले में ऑक्सीजन, कोविड के इलाज में सहायक दवाओं एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

viii. सभी कोविड अस्पतालों के बाहर मरीजों के परिजनों द्वारा प्रतीक्षा करने हेतु अस्थायी व्यवस्था का निर्माण किया जाए। परिजनों को मरीजों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समय-समय पर अद्यतन सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

3/5/2021
(संजीव कुमार सिंघल)
पुलिस महानिदेशक,
बिहार

3/5/2021
(चैतन्य प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग, बिहार

ज्ञापांक - जी/आपदा -06-02/2020(खंड-I)-45/वि०स०को पटना, दिनांक 03 मई, 2021

प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक - जी/आपदा -06-02/2020(खंड-I)-45/वि०स०को० पटना, दिनांक 03 मई, 2021

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक - जी/आपदा -06-02/2020(खंड-I)-45/वि०स०को० पटना, दिनांक 03 मई, 2021

प्रतिलिपिः- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक - जी/आपदा -06-02/2020(खंड-I)-45/वि०स०को० पटना, दिनांक 03 मई, 2021

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव